

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 3/पी०एम०सी०/कार्य- 414/2021 04/21-22 राँची, दिनांक :- 08.06.21

सेवा में,

प्रशांत कुमार,
सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०-हिन् राँची।

द्वारा :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार,

विषय :- मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर प्रक्षेत्र अन्तर्गत भोगनाडीह मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का आरंभिक परियोजना प्रतिवेदन (पी०पी०आर०) सूत्रीकरण एवं निविदा अभिलेख परामर्शी के माध्यम से तैयार कराने के निमित्त रुपये 49.80 लाख (उच्चारः लाख अरसी हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश स्वीकृत

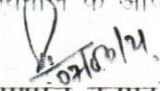
2. जल संसाधन विभाग अन्तर्गत मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर प्रक्षेत्र अन्तर्गत भोगनाडीह मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का आरंभिक परियोजना प्रतिवेदन (पी०पी०आर०) सूत्रीकरण एवं निविदा अभिलेख परामर्शी के माध्यम से तैयार कराने के निमित्त रुपये 49.80 लाख (उच्चारः लाख अरसी हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. जल संसाधन विभाग अन्तर्गत मुख्य अभियंता, देवघर प्रक्षेत्र अन्तर्गत भोगनाडीह मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का आरंभिक परियोजना प्रतिवेदन (पी०पी०आर०) सूत्रीकरण एवं निविदा अभिलेख तैयार कराने हेतु विभागीय संकल्प- 329, दिनांक- 23.04.2019 में उल्लेखित निदेश के आलोक में मुख्य अभियंता, रूपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची द्वारा सूचीबद्ध परामर्शियों के बीच विधिवत् RFP आमंत्रित किया गया, जिसके उपरान्त परामर्शी चयन समिति द्वारा RFP में भाग लेने वाले परामर्शियों में से श्रेष्ठ परामर्शी का अनुशंसा कर विभाग को उपलब्ध कराया गया। तत्परचात विभागीय निविदा समिति द्वारा प्रस्तावों का मूल्यांकन कर सर्वश्रेष्ठ परामर्शी का चयन निम्नवत् राशि के तहत किया गया है :-

क्र०	योजना का नाम	कार्य पूर्ण करने की अवधि (एकराशनामा की तिथि से)	राशि कर सहित (लाख में)
1	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर प्रक्षेत्र अन्तर्गत साहेबगंज जिलान्तर्गत भोगनाडीह मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का आरंभिक परियोजना प्रतिवेदन (पी०पी०आर०) सूत्रण एवं निविदा अभिलेख परामर्शी के माध्यम से तैयार कराने के संबंध में।	3 माह	रु० 49.80
		कुल योग :-	रु० 49.80

4. प्रस्तावित कार्य निम्नांकित शीर्ष के अन्तर्गत विकलनीय होगा :-

- (i) माँग संख्या - 49 - जल संसाधन विभाग मुख्य शीर्ष - 4701 - मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय उप मुख्य शीर्ष -80- सामान्य, लघुशीर्ष - 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष -75- सर्वेक्षण एवं अनुसंधान परामर्श एवं मूल्यांकन, विस्तृत शीर्ष - 06- अनुदान 49-आर्थिक सहायता (49S470180796750649) के अन्तर्गत विकलनीय होगा। वर्ष 2021-22 में इस शीर्ष के अन्तर्गत रु० 250.00 लाख का बजट में उपबंध है, जिससे प्रस्तावित कार्य हेतु कुल रु० 40.00 लाख रुपये राशि विकलनीय होगा।
- (ii) माँग संख्या - 49 - जल संसाधन विभाग मुख्य शीर्ष - 4701 - मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय उप मुख्य शीर्ष -80- सामान्य, लघुशीर्ष - 001- अन्य व्यय, उप शीर्ष -75- सर्वेक्षण एवं अनुसंधान परामर्श एवं मूल्यांकन, विस्तृत शीर्ष - 06- अन्य व्यय 49-अन्य व्यय (49S470180001750649) के अन्तर्गत विकलनीय होगा। वर्ष 2021-22 में इस शीर्ष के अन्तर्गत रु० 200.00 लाख का बजट में उपबंध है, जिससे प्रस्तावित कार्य हेतु कुल रु० 9.80 लाख रुपये राशि विकलनीय होगा।
5. इन कार्यों के व्यय हेतु योजना/कार्य से संबंधित कार्यपालक अभियंता, समग्र योजना, अन्वेषण एवं जल विज्ञान प्रमण्डल सं०-2, राँची निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा मुख्य अभियंता, रूपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
6. प्रस्तावित कार्य वित्तीय वर्ष 2021-22 में पूर्ण कर लिया जायेगा।
7. इस कार्य हेतु निधि की निकासी डोरण्डा कोषागार से की जाएगी।
8. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक् रूप से पालन करना अनिवार्य होगा। इस क्रम में विभागीय संकल्प ज्ञापांक-329 दिनांक-23.04.2019 में वर्णित निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
9. प्रस्तावित कार्यों पर व्यय किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।
10. डोरण्डा कोषागार सहित के निगम-174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।
11. राशि की निकासी वित्त विभाग की परिपत्र सं०-2561 दिनांक-17.04.98 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जायेगी।
12. राज्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
13. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखंड, पो०-हिनू राँची को संसूचित किया जाए।

झारखण्ड राज्यादेश के आदेश से


(प्रशांत कुमार)
सचिव

पत्रांक- 3/पी0एम0सी0/ कार्य - 414/2021/04/21-22 राँची, दिनांक- 8/6/21

प्रतिलिपि :- आंतरिक वित्तीय सलाहाकार, जल संसाधन विभाग, को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार झारखण्ड राँची को प्रेषण हेतु/योजना सह वित्त विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक- 3/पी0एम0सी0/ कार्य - 414/2021/04/21-22 राँची, दिनांक- 8/6/21
प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक- 3/पी0एम0सी0/ कार्य - 414/2021/04/21-22 राँची, दिनांक- 8/6/21

प्रतिलिपि :- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख-I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग अन्तर्गत/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1, 2 एवं 3, जल संसाधन विभाग, राँची /कार्यपालक अभियंता, समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान प्रमण्डल सं०-2, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची/उप सचिव (अभियंत्रण)/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल सं०-3, राँची को On-line स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु /प्रशाखा पदाधिकारी-7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक- 3/पी0एम0सी0/ कार्य - 414/2021/04/21-22 राँची, दिनांक- 8/6/21

प्रतिलिपि:-आयुक्त, दक्षिणी छोटानागरपुर प्रमण्डल, राँची/उत्तरी छोटानागरपुर, प्रमण्डल, हजारीबाग/कोल्हान प्रमण्डल/संथालपरगना प्रमण्डल, दुमका एवं पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर/सभी संबंधित उपायुक्त को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक- 3/पी0एम0सी0/ कार्य - 414/2021/04/21-22 राँची, दिनांक- 8/6/21

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची के आप्त सचिव/माननीय मुख्य मंत्री, झारखण्ड सरकार के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

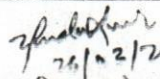
(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि०)

योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु चेक लिस्ट :-

1	कार्य का नाम	—	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर प्रदेन अन्तर्गत भोगनाडीह मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का आरंभिक परियोजना प्रतिवेदन (पी०पी०आर०) सूत्रीकरण एवं निविदा अभिलेख परामर्शी के माध्यम से तैयार कराने के निमित्त रुपये 49.80 लाख (उन्चास लाख अस्सी हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।
2	प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रस्तावित राशि	—	49.80 लाख
3	प्रस्तावित विकलनीय बजट शीर्ष	—	(i) 49S470180796750649 (ii) 49S470180001750649
4	वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये विकलनीय बजट शीर्ष में एकमुस्त प्रावधान	—	(i) 49S470180796750649- रु० 250.00 लाख (ii) 49S470180001750649- रु० 200.00 लाख
5	विकलनीय बजट शीर्ष में अद्यतन निर्गत आवंटन	—	शून्य
6	अवशेष बजट उपबंध	—	(i) 49S470180796750649- रु० 250.00 लाख (ii) 49S470180001750649- रु० 200.00 लाख
7	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	—	कार्यपालक अभियंता, समग्र योजना, अन्वेषण एवं जल विज्ञान प्रमण्डल सं०-2, राँची
8	नियंत्री पदाधिकारी का पदनाम	—	मुख्य अभियंता, रूपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची
9	प्रशासनिक स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार	—	विभागीय सचिव
	(i) विभागीय सचिव रु० 5.00 करोड़ तक		
	(ii) विभागीय मंत्री रु० 5.00 करोड़ से अधिक एवं रु० 15.00 करोड़ तक		
	(iii) विभागीय मंत्री के अनुमोदन के उपरान्त राज्य योजना प्राधिकृत समिति की अनुशंसा पर योजना मंत्री रु० 15.00 करोड़ से अधिक एवं रु० 25.00 करोड़ तक		
	(iv) राज्य मंत्रिपरिषद रु० 25.00 करोड़ से अधिक		
10	प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रस्तावित योजना/कार्य से लाभ	—	PPR सूत्रण
11	योजना पूर्ण किये जाने की अवधि (वर्ष)	—	वर्ष 2021-22
12	क्या संलेख/स्वीकृत्यादेश प्रारूप में यथा निर्देशित अवयववार विवरणी अंकित है?	—	लागू नहीं।
13	भूमि उपलब्धता विवरणी :	—	लागू नहीं।
14	यदि योजना में भू-अर्जन की आवश्यकता है तो क्या उसका विवरण संलेख/स्वीकृत्यादेश में अंकित किया गया है ?	—	लागू नहीं।
15	यदि योजना में वन-भूमि अपयोजन की आवश्यकता है तो क्या उसका विवरण संलेख/स्वीकृत्यादेश में अंकित किया गया है?	—	लागू नहीं।

५५

16	यदि योजना में सरकारी भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता है तो क्या उसका विवरण संलेख/स्वीकृत्यादेश में अंकित किया गया है?		लागू नहीं।
----	--	--	------------


 24/02/2021
 संलेख/स्वीकृत्यादेश तैयार करने वाले
 पदाधिकारी का हस्ताक्षर